चीनी पर उपकर की वैधता पर चर्चा

दिलाशा सेठ
नई दिल्ली, 14 मई

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के तहत चीनी पर उपकर लगाने पर विचार कर रही मंत्रिस्तरीय समिति ने यहां आज पहली बैठक में उपकर लगाए जाने की वैधता पर चर्चा की। समिति ने इस मसले पर कानून मंत्रालय की राय लेने का फैसला किया है।

हेमंत विश्व शर्मा की अध्यक्षता में बनी समिति 3 जून को मुंबई में होने वाली बैठक में गन्ना किसानों की मदद के लिए धन जुटाने के अन्य विकल्पों पर भी विचार करेगी। केरल के वित्त मंत्री थॉमस ईसाक ने सुझाव दिया है कि केंद्र सरकार 1 प्रतिशत अमीरों पर कर लगाने पर विचार कर सकती है। बहरहाल लगाया जाने वाला उपकर प्रत्यक्ष कर होगा, जबकि जीएसटी अप्रत्यक्ष कर है।

साथ ही चीनी पर उपकर से प्राप्त राशि के अंतिम इस्तेमाल को लेकर समिति खाद्य मंत्रालय से रिपोर्ट भी लेगी।

बैठक के बाद शर्मा ने कहा, 'दो बुनियादी सवाल उभरकर सामने आए हैं। क्या परिषद को उपकर लगाने को लेकर शक्तियां हैं, या नहीं। इसे कानून मंत्रालय से पूछा जाएगा। दूसरा, उपकर किसानों को दिया जाएगा या मिलों को।'

उन्होंने कहा कि अन्य मसला यह था कि गन्ना किसानों की मदद के लिए क्या हम अन्य साधनों से धन जुटा सकते हैं। उम्मीद की जा रही है कि समिति की रिपोर्ट जीएसटी परिषद की अगली बैठक के पहले तैयार कर ली जाएगी। शर्मा ने कहा कि इसके लिए दो से तीन और बैठकें करनी होंगी।

अनुमान के मुताबिक 3 रुपये प्रति किलो उपकर लग सकता है, जिससे सरकार को 67 अरब रुपये के करीब मिलेंगे।

जीएसटी परिषद ने 4 मई को हुई बैठक में उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के उस प्रस्ताव पर विचार किया था, जिसमें गन्ना किसानों के उत्पादन की लागत की भरपाई के लिए उपकर का प्रस्ताव था।

बहरहाल इस प्रस्ताव का कई राज्यों खासकर केरल, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक और आंद्र प्रदेश ने तीखा विरोध किया, जिसकी वजह से इस मामले पर विचार के लिए समिति का गठन किया गया है।

मंत्रियों के समूह को उम्मीद है कि इस महीने के आखिर तक कानून मंत्रालय व खाद्य मंत्रालय अपनी राय देंगे।

शर्मा ने कहा, 'हमें सबसे पहले यह जानना होगा कि क्या हमें उपकर लगाने का अधिकार है या नहीं। अगर कानून मंत्रालय कहता है कि अधिकार है तो परिषद अपनी शक्तियों का इस्तेमाल जनहित को देखते हुए करेगी।'

इस समय जीएसटी कानून के दायरे में सिर्फ मुआवजा उपकर है, जिसे कुछ लग्जरी और नुकसानदायक उत्पादों पर 28 प्रतिशत जीएसटी ढांचे में लगाया जाता है, जिससे जीएसटी लागू होने के बाद राज्यों को होने वाले नुकसान की भरपाई की जा सके। राज्यों को यह भरपाई जीएसटी लागू होने के शुरुआती 5 साल तक की जानी है।

खाद्य मंत्रालय ने यह भी सिफारिश की है कि परिषद एथेनॉल मौजूदा कर 18 प्रतिशत से घटाकर 12 प्रतिशत करे।

5 सदस्यों वाली समिति में उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल, महाराष्ट्र के वित्त मंत्री सुधीर मुनगंटीवार, केरल के वित्त मंतत्री थॉमस ईसाक और तमिलनाडु के मंत्री डी जयकुमार शामिल हैं।

Business Standard
15/5/18